



“प्ररूप-8  
(नियम 13(3) और 26 देखें)

प्ररूप सं०. \_\_\_\_\_  
(कार्यालय द्वारा भरा जाए)

भारत निर्वाचन आयोग

विद्यमान निर्वाचक नामावली/ईपीआईसी प्रतिस्थापन/दिव्यांगजन चिह्नंकित करने संबंधी प्रविष्टियों का सुधार/ निवास स्थानांतरण हेतु मतदाता आवेदन प्रारूप

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर,

सं. और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम

सं.

नाम \_\_\_\_\_

या सं. और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम@

सं.

नाम \_\_\_\_\_

(@ केवल उन संघ राज्यक्षेत्रों के लिए जहां विधान सभा नहीं है)

(I) आवेदक का नाम

ईपीआईसी सं

आधार ब्यौरे (कृपया समुचित बाक्स पर सही का निशान लगाएं)

(क)  आधार संख्यांक  या

(ख)  मैं आधार संख्यांक प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास आधार संख्यांक नहीं है।

स्वयं का मोबाइल संख्या

(या)

पिता/माता/ किसी अन्य नातेदार का मोबाइल संख्या, (यदि उपलब्ध हो)

स्वयं का ई-मेल आईडी

(या)

पिता/माता/ किसी अन्य नातेदार का मेल आईडी (यदि उपलब्ध हो)

(II) मैं निम्नलिखित हेतु आवेदन प्रस्तुत करता हूँ (निम्नलिखित में से किसी एक पर सही का निशान लगाएं)

- निवास का स्थानांतरण (या)
- विद्यमान निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों का सुधार (या)
- बिना सुधार के ईपीआईसी प्रतिस्थापन का मुद्दा और
- दिव्यांगजन व्यक्तियों के रूप में चिह्नंकित करने हेतु अनुरोध

1. निवास स्थानांतरित करने हेतु आवेदन:

मैंने निवास स्थानांतरित कर लिया है और मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरा नाम पूर्व पते से हटाया जाए और मेरे नीचे उल्लिखित वर्तमान पते पर स्थानांतरित कर दिया जाए।

मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरे पते में परिवर्तन के कारण मुझे एक प्रतिस्थापित ईपीआईसी जारी किया जाए। अतः, मैं अपना पुराना ईपीआईसी वापिस करता हूँ।

वर्तमान मामूली निवास (पूर्ण पता)	भवन/मकान/अपार्टमेंट सं०	गली/क्षेत्र/स्थान/मोहल्ला/सड़क
	नगर/ग्राम	डाकघर
	पिन कोड	तहसील/तालुका/मंडल
	जिला	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

पते के साक्ष्य की एक स्वतः अनुप्रमाणित प्रति या तो आवेदक के नाम या माता-पिता/पति-पत्नी/वयस्क बालक, मैं से किसी एक, यदि वह उसी पते पर निर्वाचक के रूप में पहले से ही नामांकित है (उनमें से कोई एक संलग्न करें)

(i) निवास के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेज:- (इनमें से कोई एक)

- उस पते का (कम से कम एक वर्ष) जल/विद्युत/गैस कनेक्शन बिल
- आधार कार्ड
- राष्ट्रीय/अनुसूचित बैंक/डाक घर की वर्तमान पासबुक
- भारतीय पासपोर्ट
- राजस्व विभाग का भूमि स्वामिस्व रिकार्ड जिसमें किसान बही भी है
- रजिस्ट्रीकृत भाड़ा पट्टा विलेख (किराएदार की दशा में)
- रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख (स्वयं के घर की दशा में)

कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) \_\_\_\_\_

**2. विद्यमान निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों का सुधार करने हेतु आवेदन**

कृपया निर्वाचक नामावली/ईपीआईसी में मेरे निम्नलिखित ब्यौरे का सुधार करें ।

(अधिकतम 4 प्रविष्टियों/विशिष्टियों का सुधार किया जा सकता है)

(कृपया नीचे समुचित बाक्स में सही का निशान लगाएं)

दावे के समर्थन में स्वतः अनुप्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य की प्रति संलग्न करें

1.  नाम                      2.  लिंग                      3.  जन्म तारीख / आयु
4.  नाते का प्रकार            5.  नातेदार का नाम            6.  पता
7.  मोबाइल संख्या            8.  फोटो

नवीनतम पासपोर्ट आकार का अहस्ताक्षरित रंगीन फोटो पूरे चेहरे को सामने से उपदर्शित करते हुए, श्वेत पृष्ठभूमि सहित (4.5 सें.मी. X 3.5 सें.मी.) चिपकाने के लिए स्थान, (केवल तभी जब फोटो परिवर्तित किया जाए)

सुधार की जाने वाली प्रविष्टि में सही विशिष्टियां निम्नानुसार है

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

उपरोक्त दावे के समर्थन में संलग्न किए गए दस्तावेज का नाम


मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरे वैयक्तिक ब्यौरे में परिवर्तन के कारण मुझे प्रतिस्थापित ईपीआईसी जारी किया जाए ।

अतः, मैं अपना पुराना ईपीआईसी वापिस करता हूँ।

**3. बिना सुधार किए प्रतिस्थापित ईपीआईसी जारी करने हेतु आवेदन**

मैं अनुरोध करता हूँ कि मुझे एक प्रतिस्थापित ईपीआईसी जारी किया जाए क्योंकि मेरा मूल ईपीआईसी निम्नानुसार है:-

(समुचित बाक्स में सही का निशान लगाएं)

- खो गया                       नियंत्रण से परे कारण के कारण बाढ़, अग्नि, अन्य प्राकृतिक आपदा आदि के कारण नष्ट हो गया
- कट-फट गया

अतः, मैं अपने कटे-फटे/पुराने ईपीआईसी को वापस करता हूँ (या) मैंने खोए हुए ईपीआईसी के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर दी है और मैं पहले जारी किए गए ईपीआईसी को वापिस करने का वचन देता हूँ यदि वह मुझे बाद में किसी स्तर पर प्राप्त होता है ।

**4. दिव्यांगजन के रूप में चिह्नंकित करने हेतु आवेदन**

दिव्यांगता का प्रवर्ग (दिव्यांगता की प्रवर्ग के लिए समुचित बाक्स में सही का निशान लगाएं)

- लोकोमोटिव                       दृष्टिक                       मूक-बधिर                       यदि कोई अन्य है (वर्णन करें).....

दिव्यांगता का प्रतिशत  % प्रमाणपत्र संलग्न (समुचित बाँक्स पर निशान लगाएँ)  हां  नहीं

**घोषणा**

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार कि मुझे जात है कि ऐसा कथन करना या घोषणा करना जो असत्य है और जिसके मिथ्या होने का मुझे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का मुझे विश्वास नहीं है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन ऐसे कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, दोनों से, दंडनीय है।

तारीख: \_\_\_\_\_

स्थान: \_\_\_\_\_

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

*सुगम्यतात्मक अनुदेश: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के उपबंधों के आलोक में, बौद्धिक दिव्यांगता, स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात और बहुदिव्यांगता आदि की दशा में, दिव्यांगजन के हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान या उसके/उसकी विधिक संरक्षक के हस्ताक्षर या उसके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपेक्षित होगा ।*

\*प्रमुख दस्तावेज़ की स्वप्रमाणित प्रति का प्रस्तुत किया जाना सेवाओं के त्वरित परिदान को सुनिश्चित करेगा।



**आवेदन के लिए अभिस्वीकृति/रसीद**



अभिस्वीकृति सं. \_\_\_\_\_ तारीख \_\_\_\_\_

श्री/श्रीमती/ सुश्री \_\_\_\_\_ का प्ररूप 8 में आवेदन प्राप्त हुआ।

[आवेदक, आवेदन की प्रास्थिति जांचने के लिए अभिस्वीकृति संख्या का संदर्भ ले सकता है।]

ईआरओ/एईआरओ/बीएलओ का नाम / हस्ताक्षर

1. \_\_\_\_\_ :

(क) निवास स्थान बदलने के लिए, या प्रविष्टियों में सुधार के लिए या प्रतिस्थापित ईपीआईसी को जारी करने के लिए या पीडब्लूडी के रूप में चिह्नित करने के लिए रजिस्ट्रीकृत/अभ्यावेशित निर्वाचक द्वारा आवेदन किया जा सकता है।

(ख) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर (ईआरओ) द्वारा आवास बदलने, प्रविष्टियों के सुधार करने और बिना संशोधन किए प्रतिस्थापित ईपीआईसी को जारी करने के लिए आवेदन की मंजूरी के मामले में आवेदक को एक नया प्रतिस्थापित ईपीआईसी जारी किया जाएगा और उसे अपने पुराने ईपीआईसी को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर को तत्काल वापस करना होगा।

2. \_\_\_\_\_ . 1 ( \_\_\_\_\_ )- आवेदक अपना नाम, ईपीआईसी सं.. आधार संख्या, मोबाइल नंबर और स्वयं या इसमें उल्लिखित संबंधी की ई-मेल आईडी वर्णित करेगा। प्रविष्टियों के अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए आधार संख्या देनी चाहिए। यदि आवेदक के पास आधार संख्या नहीं है तो उसका उल्लेख मद 1(ख) के बाक्स में किया जा सकता है।

3. \_\_\_\_\_ . 2 ( \_\_\_\_\_ ) आवेदक, आवेदन के किसी एक विकल्प पर टिक करेगा और आवेदन के सुसंगत खंड में ब्यौरों को भरेगा। अन्य सभी खंड, जो सुसंगत नहीं हैं उन्हें काट दिया जाना चाहिए।

4. \_\_\_\_\_ (क) आवेदन उस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर को करना होगा जिसमें आवेदक का नया पता स्थित है। (ख) आवेदक को अपने नए पते का उल्लेख करना होगा, जहां वह स्थानांतरित हो गया है और वर्तमान में रह रहा है और अपने स्वयं के नाम पर या अपने माता-पिता/पति-पत्नी के नाम पर पते के प्रमाण के रूप में किसी एक मूल दस्तावेज की एक स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करेगा। वह मूल दस्तावेज पर टिक करेगा जो उसने पते के प्रमाण के रूप में दिया है। मूल दस्तावेज सेवाओं का त्वरित परिदान सुनिश्चित करेगा। यदि उसके पास कोई मूल दस्तावेज नहीं है, तो उसे रिक्त स्थान में पते के प्रमाण के लिए दिए गए अन्य दस्तावेज के नाम का उल्लेख करना होगा।

5. \_\_\_\_\_ (क) यदि कोई आवेदक निर्वाचक नामावली में उससे संबंधित किसी मौजूदा प्रविष्टि को सही करना चाहता है तो उसे उपयुक्त बाक्स में टिक करना होगा और अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज संलग्न करना होगा। दिए गए खाली स्थान में दस्तावेज का नाम अवश्य उल्लिखित करना चाहिए। (ख) यदि आवेदक अपनी फोटो बदलना चाहता है, तो हाल का एक अच्छी गुणवत्ता वाला पासपोर्ट आकार (4.5 से मी. X 3.5 से.मी) का अहस्ताक्षरित रंगीन फोटो सफेद पृष्ठभूमि के साथ इसके लिए बने बाक्स में चिपकाना होगा।

6. \_\_\_\_\_ ईपीआईसी को प्रतिस्थापित करने के लिए आवेदक को उपयुक्त बाक्स में एक टिक लगाना होगा। वह अपने विकृत/पुराने ईपीआईसी को वापस करेगा या खोए हुए ईपीआईसी के लिए एफआईआर की कापी प्रस्तुत करेगा।

- आवेदक को घोषणा करना होगी कि आवेदन में उल्लिखित तथ्य और विवरण मेरे/मेरी सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।